

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 17/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री शक्ति सिंह
सैकण्ड फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी.
बैंक के सामने जयपुर

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. SHRI RAM S/O RADEHSYAM SWAMI
2. SANTOSH SHRIRAM

ADDRESS 1:- Plot with Patta no 1699 Near Shiv Mandir at ward no 03
Gram Kalikheda Gram Panchayat Garhtaknet Panchayat Samiti and Tehsil
Srimadhapur District Sikar Rajasthan 332701

ADDRESS 2:- 220, Kalikheda Garhtaknet Sri Madhopur Near Temple Sikar
Rajasthan

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 23 मार्च, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार स्वामी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः SHRI RAM S/O RADEHSYAM SWAMI AND SANTOSH SHRIRAM की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति Plot with Patta no 1699 ward no 03 Gram Kalikheda Gram Panchayat Garhtaknet Panchayat Samiti and

↓


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



Tehsil Srimadhapur District Sikar Rajasthan 332701 में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 133.20 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में SELF LAND, पश्चिम दिशा में AAM RASTA, उत्तर दिशा में OPEN LAND एवं दक्षिण दिशा में HOUSE OF SUMER SINGH & BROTHERS है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर राशि क्रमशः **₹7,80,000 /—(अक्षरे रूपये सात लाख अस्सी हजार)** व **₹4,42,000 /— (अक्षरे रूपये चार लाख बयालिस हजार)** कुल **₹12,22,000 /—(अक्षरे रूपये बारह लाख बाईस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **17.09.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **17.09.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।




(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **SHRI RAM S/O RADEHSYAM SWAMI AND SANTOSH SHRIRAM** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति Plot with Patta no 1699 ward no 03 Gram Kalikheda Gram Panchayat Garhtaknet Panchayat Samiti and Tehsil Srimadhapur District Sikar Rajasthan 332701** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 133.20 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में SELF LAND, पश्चिम दिशा में AAM RASTA, उत्तर दिशा में OPEN LAND एवं दक्षिण दिशा में HOUSE OF SUMER SINGH & BROTHERS है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **23 मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर